

क्रमांक संख्या/अभिलेख/ 844 /
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

दिनांक रामपुर, से 04/06/2024

प्रेषक :- वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल रामपुर, हि०प्र०।

प्रेषित :- मुख्या अरण्यपाल,
रामपुर, हि०प्र०।

विषय:-

Diversion of 2.462 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Ghat Paucha Pai road Kms 0/00 to 4/195, within the jurisdiction of Rampur Forest Division, Distt. Shimla HP.

Ref:

State Government proposal No. FP/HP/ROAD/150882/2022 dated 19.09.2022.

ज्ञापन :-

उपरोक्त विषय के तहत उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) ई० मेल के माध्यम से दिनांक 01.03.2024 के सन्दर्भ में सैधांतिक स्वीकृति के निहित शर्तों की पूर्ण एवं बिन्दुसार व्याख्या निम्न प्रकार से है:-

Sr. No	Stipulations/Conditions	Reply
(A)	वे शर्तों, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालना करने की आवश्यकता है :-	
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संचारित कार्य के लिए प्रत्याशित राशि रु० 13,34,635/- हि०प्र० कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है। पत्र संख्या UTR No SBIN224090721059 दिनांक 30.03.2024 (छायाप्रति संलग्न है।)
ii.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।	सहमत है।
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक	इस प्रस्ताव के तहत 2.462 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रु० 26,33,035/- UTR No. SBIN224090721059 के तहत दिनांक 30.03.2024 को कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न)

	परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या S-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 2-न62 हेक्टेयर की गैर प्रजेक्ट वैल्यू जमा करवाई जाये।	30.03.2024 को कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न)
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भूगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने सभी भूगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कर दी है।
v.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal https://parivesh.nic.in/ में अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई पोर्टल https://parivesh.nic.in/ पर अपलोड कर दी गई है।
vi.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीटी, आदि) वेबपोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-1 clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा.	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने परियोजना के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य सी० ए० लागत रु० 13,34,635/- (एन० पी० टी०) रु० 26,33,035/- तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूरक वृक्षारोपण रु० 2,67,351/- वेबपोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा कर दिए हैं। छायाप्रति संलग्न है। कुल राशि रु० 13,34,635 + 26,33,035 + 2,67,351 = 42,35,021/-
v.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उराका अनुपालन अनिवार्य होगा।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बंधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
viii.	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बंधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है (FRA प्रतिलिपि संलग्न की जाती है)
(B)	ये शर्त, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु वचनबद्धता के रूप में अनुपालन स्टेज -II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है :-	

i.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	मान्य है ,इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है ,संलग्न है।
ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	मान्य है ,इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है ,संलग्न है।
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.9240 ha के पौधारोपण का कार्य Survey No.: 53E/11, Khasra No. 179 Mohal Beaunthal, UF Paucha, Nankhari Forest Range, Rampur Bushahr Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	सहमत है।
iv.	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न है।
v.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	सहमत है।
vi.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	मान्य है ,इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है ,संलग्न है।
vii.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशिबढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशिको जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशिजमा कराना सुनिश्चित	मान्य है ,इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है ,संलग्न है।

viii.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect shall be submitted.	मान्य है ,इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है ,संलग्न है।
ix.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेसी द्वारा किया जाएगा।	मान्य है ,इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है ,संलग्न है।
x.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमिको केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थितिमें किसी अन्य एजेसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	मान्य है ,इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है ,संलग्न है।
xi.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	मान्य है ,इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है ,संलग्न है।
xii.	वन भूमिपर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	मान्य है ,इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है ,संलग्न है।
xiii.	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी	मान्य है ,इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है ,संलग्न है।
xiv.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर	मान्य है ,इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा

	कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा	प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
xv.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
xvi.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
xvii.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
xviii.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
xix.	प्रयोक्ता एजेंसी सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू/एन बी डब्ल्यू एल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
xx.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
xxi.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
xxii.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
xxiii.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी


	वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
xxiv.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।
xxv.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, MoEF&CC में उल्लेखित दिशा निर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	मान्य है, इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता जो कि व० म० अ० द्वारा प्रमाणितकृत किया गया है, संलग्न है।

संलग्न: उपरोक्त

वन मण्डलाधिकारी,
रामपुर वन मण्डल, हि० प्र०
3/6/24


**FOR STAGE-II APPROVALS
PROFORMA-A**

1	State/Distt./Forest Division to which the Proposal relates.	Himachal Pradesh/Distt. Shimla/Rampur Forest Division.
2	Name of user agency	Executive Engineer, HPPWD. Rampur Bushahr. File No. FP/HP/Road/150882/2022
3	Nature of Proposal	C/o Ghat, Paucha, Pai Road.
4	Extent of Forest area involved for diversion	2.462 ha
5	Whether original or extension of existing approval.	Original
6	If extension of lease, please clarify if proposal involves additional forest area and if so specify.	No
7	Date of 1 st Stage clearance.	01.03.2024
8	Amount to be realized in Rs.	
a)	Compensatory Afforestation	13,34,635/-
b)	Penal Compensatory Afforestation	0
c)	Catchment area Treatment	0
d)	Wildlife Management Plan	0
e)	Additional Charges for diversion of area falling under notified/protected areas.	0
f)	Soil Moisture Conservation Plan	1,29,464/-
g)	Net Present Value	26,33,035/-
h)	Any other charges/Levies (Plants Damage)	0
i)	Reclamation Plan	1,37,887/-
	Total amount to be Realized	42,35,021/-
9	Detail of Bank Draft (Bank Draft No. Date & Amount) head-wise against item indicated in Paragraph 8 above.	Nil
10	Whether deposited by RTGS if so, the particulars & date remittance	Yes CAMPA Account No. 1507061150882895 vide UTR No. SBIN224090721059 dated 30.03.2024, Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 Rs. 42,35,021/-
11	Name of Bank	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 Rs. 42,35,021/-
12	Any other Remarks	The Departmental charges amounting to Rs. 2, 57,691/- only has already deposited in Departmental account vide T.C. No. 947 dated 30/03/2024.


 Divisional Forest Officer,
 Rampur Forest Division,
 Rampur Bushahr, H.P

7

AGENCY COPY

यूनियन बैंक  **Union Bank**
OF INDIA

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 30-03-2024

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	61150882895
MoEF/SG File No.	FC/HPB/06/06/144/2022
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	Engineer-In-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla Shimla
Amount(in Rs)	4235021/-


Amount in Words :Forty-Two Lakh Thirty-Five Thousand and Twenty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507061150882895 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक  **Union Bank**
OF INDIA

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 30-03-2024

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	61150882895
MoEF/SG File No.	FC/HPB/06/06/144/2022
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla Shimla
Amount(in Rs)	4235021/-


Amount in Words :Forty-Two Lakh Thirty-Five Thousand and Twenty-One Rupees Only


NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507061150882895 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank


Executive Engineer
Rampur Division (B&R) HPPWD
Rampur, Distt. Shimla (H.P.)


Executive Engineer
Rampur Division (B&R) HPPWD,
Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

80


12259
29/3/24


HPTR-RTGS)
RTGS/NEFT/ADVANCE

Treasury Code	S	M	L	10	DDO Code	647	SDO Code		
DDO/SDO Description:- Er. Rajulsh Behal, Executive Engineer									
Pre Aligned Token No.	2	3	1	1	7	0	7	7	Dated
									3 0 0 3 2 0 2 4


To be directly credit to following accounts						Total Amount	
Sr. No.	Name of Contractor/ Supplier	ID No.	IFSC Code of Bank	Bank Name	Account No.	Rs. 42,35,021/- only	
						Amount	
1	Himachal Pradesh Campa	SJ04711257	UBIN0000335	Union Bank of India	1507001150882895	4235021	
						Total:-	42,35,021/-

(Rs. Forty Two Laes Thirty Five Thousand and Twenty One) only


Executive Engineer
Rampur Division (B&R) HPPWD
Rampur, Distt. Shimla (H.P.)


Executive Engineer
Rampur Division (B&R) HPPWD
Rampur, Distt. Shimla (H.P.)

PAID


TREASURY OFFICER
RAMPUR BSR (H.P.)
29/3/24

2311707

SBIN224080721059



NEFT: Message Details

UTR Number SBIN224090721059
Transaction Branch 00703
Value Date 30/03/2024
Amount 4235021 INR
Commission 0

Beneficiary Details

Beneficiary Account 1507001150002095
Beneficiary Name HIMACHAL PRADESH CAMPA
Beneficiary Address RAMPUR

IFSC Code UBIN0996335

Remitting Customer Details

Account Number 00000033610704534
Remitter's Name STO RAMPUR
Remitter's Address RAMPUR

Sender's To Receiver Information

SJ300320241003 URGEN//BULK BRH

Details of Payment

SJ300320241003

Error Code

Fund Status


Close

शर्त संख्या-A (i)

मैं वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी ने CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा कर दी हैं।

e/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(ई० रजनीश बहल)
अधिशोषी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या-A (ii)

मैं वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एंजेसी राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 के जारी आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।


e/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)


(ई० रजनीश बहल)
अधिशोषी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- A (iii)


मैं वचन देता हूँ कि इस प्रस्ताव के तहत 2.462 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मुल्य (NPV) 26,33,035 UTR No. SBIN224090721059 के तहत दिनांक 30.03.2024 को कैम्पा कोष में जमा कर दी है।



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)


ई० रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०।

शर्त संख्या- A (iv)


मैं वचन देता हूँ कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेंसी ने समी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबासइट www.parivesh.nic.in पर ऑनलाइन के माध्यम से कैम्पा फंड में जमा कर दी है।



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)


ई० रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०।

शर्त संख्या- A (v)


मैं वचन देता हूँ कि पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट [eportal](http://parivesh.nic.in/)
<http://parivesh.nic.in/> में अपलोड कर दी गई है।



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)


ई० रजनीश बहल)
अधिशापी अभिन्यता,
(भवन के मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- A (vi)

मैं वचन देता हूँ कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य री०ए० लागत 13,34,635/- (एन.पी.वी) रू 26,33,035/- तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूरक वृक्षारोपण रू० 2,67,351/- कुल राशि 42,35,021/- वेबपोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा कर दिये गये हैं। Online Challan की प्रति संलग्न हैं।



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



ई० रजनीश बहल)
अधिशापी अभिन्यता,
(भवन के मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- A (vii)

मैं वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी के पारा S-1 अनुगोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बति नहीं है।

c/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(डि० रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०।

शर्त संख्या- A (viii)

मैं वचन देता हूँ कि FRA 2006 का पूर्ण अनुपालना सम्बन्धित जिला कलेक्टर के निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

c/s


Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(डि० रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०।

शर्त संख्या- (B) i

मैं वचन देता हूँ कि वन भूमि कि विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

Ch


Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)




(ई० रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०।

शर्त संख्या- (B) ii

मैं वचन देता हूँ कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/धौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा

Ch



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(ई० रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०।


शर्त संख्या- (B) iii

मैं वचन देता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 4.9240 ha के पौधारोपण का कार्य Survey No.: 53E/11, Khasra No. 179 Mohal Beaunthal, UF Paucha, Nankhari Forest Range, Rampur Bushahr Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा छ यथासंभवए स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।


Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)

शर्त संख्या- (B) iv

मैं वचन देता हूँ कि प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है तो उससे संबंधित दस्तावेजए अन्यथा IFA 1927 के अंतर्गत RF/PF में अधिसूचित करा करए तत्संबंधित दस्तावेजए विधिवत स्वीकृतिके पहले प्रस्तुत किया जाएगा।


Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)

शर्त संख्या- (B) v


में वचन देता हूँ कि राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई.ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)

शर्त संख्या- (B) vi

में वचन देता हूँ कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

CP



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(ई० रजनीश बहल)
अधिशोषी अगिन्यता,
(भवन व मार्ग) गण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) vii

मैं वचन देता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा कर दी जाएगी।

c/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(ई० रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) viii

मैं वचन देता हूँ कि चरण-1 अनुपालन के साथ मिट्टी और नमी संरक्षण योजना को इसके कार्यान्वयन की विस्तृत लागत 1,29,464 Challan के माध्यम से CAMPA के खाते में जमा कर दी है।

c/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(ई० रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) ix

मैं वचन देता हूँ कि वन वृक्षारोपण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

c/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(ई० रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) x

मैं वचन देता हूँ कि प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी स्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

c/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(श्री 0 रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि 0 प्र 0 लो 0 नि 0 विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि 0 प्र 0

शर्त संख्या- (B) xi

मैं वचन देता हूँ कि केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

c/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(श्री 0 रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि 0 प्र 0 लो 0 नि 0 विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि 0 प्र 0

शर्त संख्या- (B) xii

मैं वचन देता हूँ कि वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।

c/s


Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)


(श्री 0 रजनीश बहल)
अधिशायी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि 0 प्र 0 लो 0 नि 0 विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि 0 प्र 0

शर्त संख्या- (B) xiii

मैं वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे तो उस के लिए प्रयोक्ता एजेंसी वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाएगी।

c/s

Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)

(ई० रजनीश बहल)
अधिसाक्षी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) xiv

मैं वचन देता हूँ कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाना जाएगा।

c/s

Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)

(ई० रजनीश बहल)
अधिसाक्षी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) xv

मैं वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान न हो सके।

c/s


Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)


(ई० रजनीश बहल)
अधिसाक्षी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) xvi

में वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

c/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(ई० रजनीश बहल)
अधिसूची अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) xvii

में वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा स्थानतंत्रित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फीट उंचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित कर दी जाएगी।

c/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(ई० रजनीश बहल)
अधिसूची अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) xviii

मैं वचन देता हूँ कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।

c/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(ई० रजनीश बहल)
अधिसापी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) xix

मैं वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CWLW/NBWL/FAC/IEC की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/ वन क्षेत्र में उपयुक्त अडर/ओवरपास करवाएगी।

c/s


Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)



(ई० रजनीश बहल)
अधिसापी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) xx

मैं वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जाएगी।

c/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)


(ई० रजनीश बहल)
अधिसापी अभिन्यता,
(भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
हि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०


शर्त संख्या- (II) xxI

मैं वचन देता हूँ, कि प्रयोक्ता एजेसी द्वारा परियोजना निर्माण से उत्पन्नित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा कहीं भी चुराई जगह नहीं फेंका जाएगा।

c/s



Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)


शर्त संख्या- (B) xxII


(ई.0. राजेश बहल)
अधिशोषी अगिन्यता,
(भवन व मार्ग) गण्डल रामपुर,
डि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

मैं वचन देता हूँ, कि प्रयोक्ता एजेसी द्वारा इस प्रस्ताव को 00 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की जाए इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की जाएगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेसी के पदा में दी जाने वाली लीज की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह- समाप्ति होगी।


c/s


Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)


(ई.0. राजेश बहल)
अधिशोषी अगिन्यता,
(भवन व मार्ग) गण्डल रामपुर,
डि० प्र० लो०नि०विभाग,
रामपुर जिला शिमला हि०प्र०

शर्त संख्या- (B) xxiii


मैं वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अन्य कोई भी शर्त जो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती हैं तो वह शर्त मान्य होगी।

c/s

 Divisional Forest Officer
 Rampur Forest Division
 Rampur Bushahr (H.P.)

(ई० रजनीश बहल)
 अधिशासी अभिन्यता,
 (भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
 हि० प्र० लो०नि०विभाग,
 रामपुर जिला शिमला हि०प्र०।

शर्त संख्या- (B) xxiv


मैं वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो इनके अधीन जरूरी अनुमति ली जाएगी।

c/s

 Divisional Forest Officer
 Rampur Forest Division
 Rampur Bushahr (H.P.)

(ई० रजनीश बहल)
 अधिशासी अभिन्यता,
 (भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
 हि० प्र० लो०नि०विभाग,
 रामपुर जिला शिमला हि०प्र०।


शर्त संख्या- (B) xxv

मैं वचन देता हूँ कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, MoEF&CC में उल्लेखित दिशा-निर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

c/s

 Divisional Forest Officer
 Rampur Forest Division
 Rampur Bushahr (H.P.)

(ई० रजनीश बहल)
 अधिशासी अभिन्यता,
 (भवन व मार्ग) मण्डल रामपुर,
 हि० प्र० लो०नि०विभाग,

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
FOREST DEPARTMENT



WORKING PLAN FOR THE FORESTS

OF

RAMPUR FOREST DIVISION

(2014-2015 TO 2028-2029)

VOLUME-II

BY

B.L. NEGI, IFS

W.P.O - CUM -D.F.O. RAMPUR

Under the guidance of

*Sh. Tejinder Singh, IFS
Addl. Pr. CCF Working Plan &
Settlement, Mandi
Himachal Pradesh*

*Sh. Y.P. Gupta, IFS
Conservator of Forests
Working Plan, Solan
Himachal Pradesh*

6	1	2	3	4	5	6
56		169	D-169 Manjkanan	-	213 b	90.72
31		170	D-170 Chechi	-	214	147.01
4		171	D-171 Suga	-	215 a	39.69
34		172	D-172 Duhku	-	215 b	89.1
52		173	D-173 Sugnelho	-	215 c	123.52
51		174	D-174 Selti	-	215 d	95.17
31		175	D-175 Ramagnand NDPF	-	UPF 4	395.7387
55		176	D-176 Gauni NDPF	-	UPF 5	301.5065
57		177	D-177 Kundla Chhunda I NDPF	-	UPF 6 a	154.1058
83		178	D-178 Kundla Chhunda NDPF	-	UPF 6 b	71.0296
93		179	D-179 Kundla Chhunda III NDPF	-	UPF 6 c	191.7112
67		180	D-180 Kheucha NDPF	-	UPF 7	495.6117
57		181	D-181 Koot NDPF	-	UPF 8	763.8354
41		182	D-182 Deowara NDPF	-	UPF 9	599.6004
46		183	D-183 Hularuding I NDPF	-	UPF 10	333.3371
61		184	D-184 Hularuding II NDPF	-	UPF 11	39.1333
29		185	D-185 Rupinsuglig NDPF	-	UPF 12	395.353
85		186	D-186 Karai NDPF	-	UPF 14	162.4419
66		187	D-187 Gamoghati NDPF	-	UPF 16 a	24.8201
79		188	D-188 Sharan gad South NDPF	-	UPF 17	112.0018
78		189	D-189 Sharan gad North NDPF	-	UPF 18	766.9464
55		190	D-190 Phancha II NDPF	-	UPF 19	46.5906
51		191	D-191 Bohiyadhar NDPF	-	UPF 20	235.1642
04		192	D-192 Bhujri NDPF	-	UPF 21	87.1723
11		193	D-193 Sarpara NDPF	-	UPF 22	89.6817
5.2		194	D-194 Kuimoridhar NDPF	-	Kuimoridhar	188.9878
68		195	D-195 Jami thach NDPF	-	Jami thach	72.9336

b) Undemarcated Protected Forests

16	Range	Sr. No.	Name of forest	Old UPF No.s.	New UPF No.	Area in Ha.
22		2	3	4	5	6
09	Nankhari	1	Chabair	23	1	52.65
33		2	Ropari	24	2	52.65
34		3	Narola	25	3	52.65
71		4	Samnu	26	4	38.47
81		5	Tutu	27	5	19.44
19		6	Nagadhar	28	6	129.6
97		7	Panel	29	7	16.2

1	2	3	4	5	6
	8	Nanoga	30	8	12.15
	9	Nanola	31	9	24.3
	10	Dalaul	32	10	40.5
	11	Dalahu	33	11	28.35
	12	Batannal	34	12	24.3
	13	Kandal	35	13	48.6
	14	Trena	36	14	52.65
	15	Lelan	37	15	104.08
	16	Santhal	38	16	115.83
	17	Kadell	39	17	20.65
	18	Paradhur	40	18	51.84
	19	Kungul	41	19	30.78
	20	Bal Bahli	42	20	12.96
	21	Tangri	43	21	36.04
	22	Sandh	157	22	19.84
	23	Jedharmilla	158	23	14.17
	24	Chachi	159	24	40.5
	25	Bhamnoli	160	25	12.15
	26	Dharja	161	26	9.72
	27	Gahun	162	27	21.87
	28	Jahu	163	28	12.96
	29	Peojna	164	29	16.2
	30	Gutru	165	30	10.12
	31	Chitralli	166	31	16.2
	32	Baroli	167	32	4.05
	33	Chebri	168	33	16.2
	34	jalthani	169	34	41.31
	35	Nagalni	170	35	16.2
	36	Totan	171	36	20.25
	37	Latehri	172	37	16.2
Bahli	38	Sridhar	44	38	47.79
	39	Khamadi	45	39	12.15
	40	Dansa	46	40	52.24
	41	Kandreri	47	41	35.64
	42	Surad	48	42	12.96
	43	Erli	50	43	10.93
	44	Nathal Dhar	51	44	81
	45	Beunthal	52	45	45.36
	46	Ghat	53	46	19.84
	47	Majheoti	54	47	81
	48	Paicha (Paucha)	55	48	56.7

FORM-1

(For linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR-(57)/2019- 424

dated: 30-06-2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 02-46-20 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, Rampur Division B & R, HPPWD, Rampur for construction of road from Ghat Poucha Pai (proposed for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Mauja Ghat and Byunthal, Tehsil Rampur, District Shimla.

It is further certified that:-



(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 02-46-20 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure-A to annexure-B.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl. As above.

(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla District (H.P.)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 21-06-2021 at 11:30 AM in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Ghat and Byunthal claiming rights in village forest area(s) 02-46-20 Hectares under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Rampur were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----	Nil---

Claim(s) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
✓		----	Nil---

As informed by SDO(Civil), Rampur no application was received from Gram Sabha Ghat and Byunthal claiming right in 02-46-20 Hectares forest area.

Place: Shimla

Date:

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla.**

उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 18-02-2021 की कार्यवाही रिपोर्ट

आज दिनांक 18-02-2021 को श्री सुरेंद्र मोहन (हि0प्र0से0) उप-मंडलाधिकारी (ना0) रामपुर की अध्यक्षता में Schedule Tribes & others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act FRA 2006 के अंतर्गत उप-मंडल स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री देवा चन्द नेगी नायब तहसीलदार रामपुर।
2. श्री आर० एस० नेगी अधिशाषी अभियंता जल शक्ति विभाग रामपुर।
3. श्री झे० एल० चौहान सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग।
4. श्री शोभा सिंह सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग।
5. श्री राजेंद्र लक्ठू कम्पनी कन्सांडर होमगार्ड सराहन।
6. श्री कुन्दन लाल नेगी वन खण्ड अधिकारी सराहन।
7. श्री विपन कुमार वन खण्ड अधिकारी नोगली।
8. श्री दिवान सिंह लिपिक लोक निर्माण विभाग रामपुर।
9. श्री हेम राज वरिष्ठ सहायक वन विभाग रामपुर।
10. श्रीमति बिशना भंडारी गाँव व डा. झाकड़ी तहसील रामपुर। (गैर सरकारी सदस्या)

सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित हुए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने पर स्वागत किया, तदोपरान्त बैठक में निम्न मदों पर चर्चा की गई।

मद संख्या :-1 प्रस्तावित मुन्दर कुंगल मकरोग खोड़ी गडासु सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकबा तादादी रकबा 03-21-93 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन मौजा मुन्दर (0-46-45 है०), मौजा कुंगल 1-63-67 है०), मौजा खोड़ी (0-32-92 है०), (मौजा खमनाना 0-16-72 है०), (मौजा धरागला 0-59-07 है०), (मौजा गडासु 0-03-10 है०) दर्ज मालकागजात है। प्रस्तावित भूमि के लिए वन अधिकार समिति मुन्दर, कुंगल, खोड़ी, खमनाना, धरागला व गडासु ने प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 26-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 22-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 12-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 24-07-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 28-09-2018, प्रस्ताव संख्या 01, दिनांक 26-08-2018 के माध्यम से सहमति दी है। जिसमें वन अधिकार समिति मुन्दर, कुंगल, खोड़ी, खमनाना, धरागला व गडासु ने सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपत्ति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

संख्या :-2

प्रस्तावित बाहली से देवनगर सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 3-67-73 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा बाहली 3-03-47 है० व दवाडा 0-64-26 है०) दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति बाहली व देवनगर ने सहमति प्रकट करते हुए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

संख्या :-3

प्रस्तावित सरपारा से लवाना-सदाना सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 02-86-09 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा जुलीकोट रकवा 0-61-73 + मौजा कान्धार रकवा 2-24-36 है०) कुल रकवा 02-86-09 हेक्टर दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति जुलीकोट व कान्धार ने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 29-01-2019 व प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 22-09-2019 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

संख्या :-4

प्रस्तावित बाजवा से छावारा बाई सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 02-60-35 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति बाजवा ने प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 15-07-2019 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

संख्या :-5

प्रस्तावित घाट पौचा पेई सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकवा तादादी रकवा 02-46-20 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताविक नक्शा वर्तन वर्तनदारान मुताविक नक्शा वर्तन (मौजा घाट रकवा 0-53-53 + मौजा व्युन्थल रकवा 1-92-67 है०) कुल रकवा 02-46-20 हेक्टर दर्ज मालकागजात है। जिसमें वन अधिकार समिति घाट व व्युन्थल ने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30-09-2020 व प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 01-10-2020 के माध्यम से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होनी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

मत संख्या :- 0

प्रस्तावित जलान कैंची से बिला छोपरी सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि रकबा तादादी रकबा 0-70-03 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताबिक नक्शा वर्तन वर्तनद्वारा गुताबिक नक्शा वर्तन गौजा निरथ 0-61-82 है। गौजा चुन्जा 0-08-21 है। दर्ज गाल कालगजात है। जिरामे वन अधिकार समिति निरथ व चुन्जा ने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 30-09-2020 व प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 01-07-2018 के मादयग से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होगी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

प्रस्तावित गृह रसा विभाग 2/5 कंपनी कार्यालय भवन निर्माण सराहन के लिए सरकारी भूमि रकबा तादादी रकबा 00-02-04 हेक्टर कब्जा स्वयं तावे हकूक मुताबिक नक्शा वर्तन वर्तनद्वारा गुताबिक नक्शा वर्तन (गौजा सराहन दर्ज गालकालगजात है। जिसमें वन अधिकार समिति सराहन ने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 10-09-2020 के मादयग से सहमति प्रकट करते हुए वन अधिकार अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है। वन विभाग के प्रतिनिधि की कोई आपति नहीं है। यह भूमि जनहित के लिए आवश्यक रूप से अर्जित होगी है। उपरोक्त जमीन पर वन अधिकार सम्बंधित दावा लंबित नहीं है। अतः इस मामले को संस्तुति सहित जिला वन अधिकार समिति को भेजना उचित है।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद किया गया।


उप-मंडलाधिकारी (ना0),
रामपुर बुशहर जिला/शिमला हि0प्र0,

पृष्ठांक संख्या :- आर0एम0पी0/एस0डी0के0/2020- 1221 दिनांक 25/2/21.

प्रतिलिपि :-

1. उपायुक्त महोदय शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. सम्बंधित अधिकारी/कार्यवाही तथा गैर सरकारी सदस्यों को प्रेषित ।

उप-मंडलाधिकारी (ना0),
रामपुर बुशहर जिला/शिमला हि0प्र0


Sub-Divisional Magistrate
Rampur Bushahr (H.P.)
121

(1)

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER (CIVIL), RAMPUR,
DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH

proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.


A meeting of the Sub-Divisional Level Committee of Rampur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sh. Suresh Mohan, HPAS, Sub-Divisional Officer (C), Rampur, Distt. Shimla, H.P. on 18-02-2021 at 11:30 AM at Rampur, in which the application of the applicant of HPFD for diversion of forest land area measuring mouja Ghat 00-53-53, mouja Byunthal 01-92-67 hect. Total area measuring 02-46-20 hect. at Ghat Byunthal of Forest Division Rampur for construction of road from GhatPoucha Pai Tehsil Rampur District Shimla under FRA 2006 duly processed and recommended by the Forest Right Committee Ghat and Byunthal was discussed and consider the same and forwarded with recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detail discussion the application of the applicant were found to be in order and recommended for admission to District Level Committee.

Place :- Rampur
Dated :- 18-02-2021


SDO © Cum-Chariman,
Sub-Divisional/Level Committee

Attested
pre
Sub-Divisional Magistrate
Rampur Bushahr (H.P.)
21


Divisional Forest Officer
Rampur Forest Division
Rampur Bushahr (H.P.)

PROCEEDINGS OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHTS COMMITTEE HELD ON 21-06-2021 at 11:30 AM UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI ADITYA NEGI, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

Meeting of the District Level Forest Rights Committee was convened on 21-06-2021 at 11:30 AM under the Chairmanship of Shri Aditya Negi, IAS, Deputy Commissioner, Shimla in his office chamber. The followings were present:-

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Sh. Vinay Dhiman | Adl. District Magistrate (P). |
| 2. Sh. Pawan Kumar Chauhan | Divisional Forest Officer, Shimla (Urban). |
| 3. Sh. Arvind Kumar | Divisional Forest Officer, Rampur. |
| 4. Sh. Raj Kumar Sharma | Divisional Forest Officer, Shimla, Kotgarh. |
| 5. Sh. Vishal Shankta | Nominated Member |
| 6. Sh. Ujjwal Sain Mehta | Nominated Member |
| 7. Smt. Prabha Verma | Nominated Member |

At the outset, the Deputy Commissioner, Shimla welcomed all the members of the committee. The ADM (P) apprised that following 26 cases approved by the Sub-Divisional Level Forest Rights Committees to issue FRA certificate for processing the cases under the Forest Conservation Act, 1980 have been received from the respective Sub-Divisional Officers (C).

Sr. No	Name of Sub Division	FRA proposal
1.	SDM Shimla (Urban)	Proposed prefabricated Shop for Vendors near M.C. toilet Khalini in ward No. 33, tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
2.	---do---	Construction of Car Parking near Om Service Kanlog in ward No. 34, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
3.	---do---	Construction of Escalators at Jakhoo Temple, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
4.	---do---	Construction of ambulance road from Bye Pass to Mangru Cottage Tutikandi, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
5.	---do---	Construction of Car Parking near govt. Primary School, Chalkar in ward No. 9, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
6.	---do---	Construction of Car Parking Mahindra Motors Kachighati, Shimla in ward No.9, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
7.	---do---	Channelization of Nallah and its landscaping from Indira Gandhi Sports Complex bridge to Lalpani bridge with construction and O & M of STP for waste water treatment, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
8.	---do---	Construction of Car Parking near Kanlog by Pass road in ward No. 34, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
	---do---	Construction of car parking opposite HPSEB Sub-Station Kalibari ward No. 2, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.

Ujjwal Sain Mehta

Additional District Magistrate
Distt. Shimla

10.	---do--	Construction of car parking opposite Roop Hardware Lakkor Bazar in ward No. 2, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
11.	---do--	Construction of ambulance and Fire Brigade road for the building in Daizy Bank Estate Lower Jakhu in ward No. 16, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
12.	---do--	Construction of ambulance road from Hanuman Mandir road to Sharma Niwas in ward No. 33 Khadini, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
13.	---do--	Construction of proposed multi storied parking complex between Tennis Court and HRDC building in HPU Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
14.	---do--	Construction of Food Corporation of India, Regional Office Building at Tutikandi Shimla, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla.
15.	SDM Rampur	Construction of road from Ghat Poucha Pai, Tehsil Rampur, District Shimla.
16.	---do---	Construction of road from Jalan Kainchi to Buladokhari, Tehsil Rampur, District Shimla.
17.	---do---	Construction of road from Bajawa to Chhawara Bai, Tehsil Rampur, District Shimla.
18.	---do---	Construction of road from Bahali to Devnagar, Tehsil Rampur, District Shimla.
19.	---do---	Construction of road from Mundar, Kungal, Makarog Khori, Garasu, Tehsil Nankhari, District Shimla.
20.	---do---	Construction of road from Sarpara to Labana-Sadana, Tehsil Rampur, District Shimla.
21.	---do---	Construction of office of Home Guard Company Sarahan, Tehsil Rampur, District Shimla.
22.	---do---	Construction of Jahoo Deem to Charaila road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
23.	---do---	Construction of Dhala Bhamti (Thandwa) to Frawat Kanchi road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
24.	---do---	Construction of Dhala to Mankhidhank road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
25.	---do---	Construction of Gadasu Lohtti Nali Punan road, Tehsil Nankhari, District Shimla.
26.	SDM Kumarsain	Construction of Kupri Serthi Nehri Khad road Tehsil Kumarsain, District Shimla.

All the cases were perused and considered by the committee and after discussion, the same were approved to issue FRA Certificate for processing cases by the user departments under Forest Conservation Act, 1980.

The meeting ended with vote of thanks to and from the chair.

attested copy

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

Deputy Commissioner cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,
Shimla, District Shimla, H.P.